श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय
(स्वशासी समिति), रीवा म0प्र0

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/ संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु इन्सीनरेटर व्यवस्था ।

निविदा फार्म एवं शर्ते
वर्ष 2012–13

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पॉच हजार मात्र)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी, समिति रीवा म0प्र0

क्रमांक /क्रय/एम.सी./12 रीवा दिनांक

निविदा प्रपत्र

संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय परिसर रीवा मे स्थित Fluidtech Boilers, Ahmedabad द्वारा प्रदाय जिसकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घन्टा है से संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय के जीव अपशिष्ट (Bio-Medical Waste) को भस्म करने एवं अन्य कचरे के उचित डिस्पोजल हेतु चालू होने के दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि का ठेका किये जाने हेतु सील बंद निविदायें निम्न शर्ते पर आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते :–

1. प्रत्येक निविदाकार को अपनी सील बंद निविदा के साथ रूपये 2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र) की धरोहर राशि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफट से जमा किया जाना होगा। उक्त धरोहर राशि नगद या चेक द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदायें धरोहर राशि के सहित कार्यालय मे निर्धारित तिथि एवं समय तक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि एवं समयवाधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदाकार को चिकित्सालय परिसर में स्थित विभिन्न वार्ड से एकत्रित्र हुये जीव अपशिष्ट एवं अन्य कचरे का उचित डिस्पोजल भी करना होगा। जीव अपशिष्ट (Bio-MedicalWaste) एवं अन्य कचरा को इन्सीनरेटर मे भस्म करना होगा। इन्सीनरेटर मे उपयोग होने वाले ईधन (डीजल/बिजली) इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
3. निविदा खुलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार या उसके प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित रह सकते है जिसके लिये उसे अलग से कोई सूचना नही दी जावेगी।
4. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय समूह परिसर में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों, भवनों, वार्डस, मेडिकल परिसर, बाहय उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) के समस्त प्रकार के ठोस, द्रव, जीव अपशिष्ट को चिकित्सालय/वार्डस, भवनों एवं मेडिकल परिसर/बाहय उपचार विभाग (ओ.पी.डी.) से इन्सीनरेटर तक लाने की व्यवस्था स्वयं निविदाकार द्वारा की जावेगी तथा इसमें होने वाला व्यय भी निविदाकार द्वारा ही वहन किया जावेगा। बायोमेडिकल वेस्ट के आलवा चिकित्सालय परिसर में एवं अन्य एकत्रित्र किया गया कचरा भी उचित स्थान पर लाया जाकर उसका भी उचित डिस्पोजल करना होगा, जिसकी व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी।

5. रीवा नगर के अन्य नर्सिंग होम/चिकित्सालयों (शासकीय चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों) से प्राप्त होने वाले जीव अपशिष्टों को भी निविदादाता द्वारा इन्सीनरेटर मे भस्म करना होगा। उक्त जीव अपशिष्टों को इन्सीनरेटर तक पहुॅचाने की व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं की जावेगी। ऐसे जीव अवशिष्ट को भस्म करने के लिये निविदादाता को अलग से निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जावेगा। जिसका वहन निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम करेगा।

6. निविदाकार द्वारा उन्हीं प्रायवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों के जीव अपशिष्ट को भस्म किया जावेगा जिसकें लिये अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वशासी समिति, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा निर्देशित किया जावेगा।

7. निविदाकर को 1000 बिस्तरों वाले शासकीय चिकित्सालयों मे जीव अपशिष्ट भस्म करने का कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा द्वारा इन्सीनरेटर के पूरी तरह से रख–रखाव एवं संचालन के लिये निविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। उसे समय–समय मे उसकी जॉच, रख–रखाव एवं अन्य प्रकार के रख–रखाव की व्यवस्था हेतु आवश्यक मैकेनिक, इन्जीनियर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि उक्त इन्सीनरेटर के निर्माता – कम्पनी द्वारा उस संबंध मे अलग से कोई निर्देश दिये जाते है तो उसके अनुसार समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी। यदि इन्सीनरेटर उपयोग करने के दौरान उसके किसी पार्टस् मे कोई खराबी आती है या उसे बदलाना आवश्यक होता है तो निविदाकार उक्त पार्टस् को बदलायेगा। यदि कोई खराबी के कारण इन्सीनरेटर कुछ समय कार्य नहीं करता है तो ऐसे समय के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था मे होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा ही वहन करना होगा।

9. प्रत्येक निविदाकार को पिछले तीन वर्ष का आयकर अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा से संबंधित संजय गांधी चिकित्सालय समूह के परिसर मे इन्सीनरेटर द्वारा जीव अपशिष्ट भस्म किये जाने का भुगतान प्रतिमाह की ओक्यूपेसी के आधार पर प्रति पंलग की दर से किया जावेगा। अतः निविदाकार अपनी निविदा मे प्रति पंलग के आधार पर दरें जीव अपशिष्ट को भस्म करने हेतु भी दरे प्रति पंलग के आधार पर अलग से प्रस्तावित करें। अधीक्षक द्वारा प्रतिमाह बेड ओक्यूपेसी का प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही ठेकेदार द्वारा बिल बनाया जावेगा।

11. इन्सीनरेटर मे कोई भी खराबी आने पर या उसके बंद होने पर निविदाकार को 24 घण्टे के अन्दर इन्सीनरेटर को चालू करना अनिवार्य होगा या अवशिष्ट के निस्तारण की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

12. निविदाकार को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं स्तर के कंटेनर्स (वेग्स) की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

13. निविदाकार को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदण्ड के अनुसार Solid Waste का भस्मण्ड करना होगा। जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का भी पालन करना होगा।

14. अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा या उसके द्वारा नामांकित किसी भी व्यक्ति को इन्सीनरेटर यूनिट का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और यदि निरीक्षण के समय निविदाकार की कोई भी गलती या त्रृटि पाई जाती है तो निविदाकार पर उचित अर्थदण्ड अथवा ठेका निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी। ठेका निरस्ती पर दूसरे क्रम पर आने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृति की जायेगी। यदि द्वितीय निविदा स्वीकृति करने पर सोसायटी को अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो वह धनराशि प्रथम ठेकेदार के अमानती राशि से वसूल की जावेगी।

15. सफल निविदाकार को इन्सीनरेटर पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इन्सीनरेटर के संचालन के संबंध में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. उपरोक्त निविदा शर्तो का उल्लघंन किये जाने की दिशा मे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, रीवा सफल निविदाकार/ठेकेदार को 7 दिन का सूचना पत्र देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा तथा निविदा समाप्त होने की दशा मे शेष बची अवधि के लिये अन्य व्यवस्था किये जाने मे स्वशासी को, यदि अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना पडता है तो वह अतिरिक्त धन राशि सफल निविदाकार/ठेकेदार से भू राजस्व की तरह वसूल की जावेगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी।

17. निविदा स्वीकृत होने की दशा मे सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत की दिनांक से 7 दिन के अन्दर उपरोक्त शर्तो के पालन हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

18. स्वीकृतकर्ता अधिकारी या समिति को अधिकार होगा कि व किसी भी निविदा को स्वीकृति/अस्वीकृति कर सकेगी। निविदाकार को श्रमिक विवेचना के राज्य एवं केन्द्र के अधिनियमों, कानून का पालन करना अनिवार्य होगा तथा श्रम कानून के अन्तर्गत ई.पी. एफ./ई.एस.आई. इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा एवं की गई कार्यवाही की जानकारी अधोहस्ताक्षकर्त्ता को हर माह देना अनिवार्य होगा।

19. निविदा अवधि के समाप्ति के पश्चात् इन्सीनरेटर को चालू हालत मे एवं इन्सीनरेटर की समस्त सामग्री संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय को सौपना होगा।

20. यदि किसी कारणवश निविदा समाप्ति के समय जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही होती है तब तक निविदाकार को पूर्ववत नियम, शर्तो एवं उसी दर पर कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा।

21. समस्त प्रकार के विवादों के निराकरण का क्षेत्राधिकार केवल रीवा, न्यायालय की होगी।

नोट :—

1. इस प्रपत्र के साथ अमानती राशि का डाफट व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ लिफाफा ए मे रख कर बंद करें। सभी ठीक पाये जाने पर ही लिफाफा बी खोला जावेगा।
2. लिफाफा बी मे केवल ठेके की राशि प्रतिवर्ष का विवरण दें।
3. लिफाफा ए एवं बी को एक दूसरे लिफाफे मे रखकर उस पर इन्सीनरेटर व्यवस्था हेतु निविदा उपर लिखें व सील कर के भेजें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
स्वशासी समिति, श्यामशाह चिकित्सा
महाविद्यालय, रीवा म0प्र0

लिफाफा बी में रखने हेतु

रेट सूची

1. मै/हम उपर लिखी शर्ते एवं नियम को स्वीकार कर श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय परिसर मे स्थित विभिन्न चिकित्सालयों/वार्डस/परिसर/बाहय उपचार विभाग के समस्त प्रकार के ठोस/द्रव्य जीव अवशिष्टों को उचित रूप से इन्सीनरेटर द्वारा व शेष अन्य चिकित्सालय अवशिष्टों के उचित डिस्पोजल के लिये दरे निम्न प्रकार से प्रस्तावित करता हूॅं।

   1. ....
   2. ....
   3. ....

2. प्राइवेट नर्सिग होम/पैथालाजी लैब तथा अन्य से प्राप्त होने वाले समस्त जीव–अवशिष्ट इन्सीनरेटर मे भस्म करने का निम्नलिखित दर प्रस्तावित करता हूॅं।

   1. ....
   2. ....
   3. ....

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम एवं पता

निविदा प्रपत्र का प्रारूप इन्सीनरेटर व्यवस्था हेतु

प्रमाणित फोटोग्राफ

1. निविदा फर्म का नाम ....
2. निविदाकार पूरा नाम ....
3. उम्र / लिंग / पुरूष / स्त्री ....वर्ष ....पु0 / म0 ....
4. पिता का नाम ....
5. स्थानीय पता ....
6. स्थायी पता से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें ....
7. किसी राजपत्रित अधिकारी से ....
   प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें ....
8. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियॉ संलग्न करें ....
9. पेन न. / टेन न. / आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र (विगत वर्ष) ....
10. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र ....
11. श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण (यदि लागू हो तो) ....
12. इन्सीनरेटर ठेके की अमानती राशि ....
    रू. 2,00,000 (रू. दो लाख मात्र) अंको एवं शब्दों मे लिखें ....
13. बैंक ड्राफट क्रमांक एवं दिनांक ....
    बैंक का नाम रेखांकित बैंक ड्राफट संलग्न करें ....
14. अन्य जानकारी एवं संबंधित ....
    दस्तावेज संलग्न करें ....

नोटः– मैने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क्रमांक / दिनांक ....
को समाचार पत्र ....
मे प्रकाशित हुई है, के अनुसार इन्सीनरेटर व्यवस्था का ठेका सभी शर्ते के साथ मान्य करता हूँ।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता